रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07012022-232499
SG-DL-E-07012022-232499

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 2022/पौष 13, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 350
No. 1]	DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 2022/PAUSHA 13, 1943	[N. C. T. D. No. 350

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जनवरी, 2022

फा. सं. 21/8/सिख/2022/एलएएस–VII/विधायी/0626.–निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2022

[22 का विधेयक संख्यांक 01]

(दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 में आगे संशोधन के लिए)

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के बहातरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जायेगा :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ-** (1) यह अधिनियम दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2022 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. **धारा 4 का संशोधन -** दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82), में धारा 4 के खंड (ख) में, -

(i) "नौ सदस्यों " शब्दों के स्थान पर "दस सदस्यों " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(ii) धारा 4 के खंड (ख) के उप-खंड (ii) में,-

(क) "चार सदस्यों" शब्दों के स्थान पर "पांच सदस्यों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) "तथा" शब्द को हटाया जाएगा;

(ग) "श्री तख्त हजूर साहिब, नांदेड़", शब्दों के पश्चात् " तथा (5) श्री तख्त दमदमा साहिब, तलवंडी साबू, भटिंडा, पंजाब" शब्दों, कोष्ठकों तथा अंक को सन्नीविष्ट किया जाएगा।

उददेश्य और कारणों का विवरण

1. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रतिवेदन पर "श्री तख्त दमदमा साहिब, तलवंडी साबू, भटिंडा (पंजाब)" को पांचवें "तख्त" में शामिल करने के उद्देश्य से दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम,1971 में संशोधन की आवश्यकता उत्पन हुई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए WP(C) संख्या 6377/2018 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा दिनांक 01.06.2018 के आदेश की निरंतरता में उपरोक्त अधिनियम में संशोधन किया गया।

इसके अलावा "श्री तख्त दमदमा साहिब, तलवंडी साबू , भटिंडा (पंजाब)" को पांचवें तख्त के रूप में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.04.1999 को जारी अधिसूचना सं का.आ.281(ई) के अनुसार सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम VIII) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2. दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 4 के उप-खंड (ii), खंड (बी) में प्रावधान है कि समिति में चार सदस्य होंगे, जिनमें प्रत्येक में मुख्य ग्रंथि होंगे :- (1) श्री अकाल तख्त साहिब, अमृतसर (2) श्री तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर (3) श्री तख्त पटना साहिब, पटना और (4) श्री तख्त हजूर साहिब, नांदेड़।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में उपयुक्त संशोधन किए जाने के लिए प्रस्तावित तथा दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 4 के उपखंड (ii) के खंड (बी) द्वारा किये गए संशोधन निम्नलिखित है: -

(i) अधिनियम की धारा 4 के खंड (बी) में, "नौ सदस्य" शब्द के स्थान पर "दस सदस्यों" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) धारा 4 के खंड (बी) के उपखंड (ii) में, ---

(क) "चार सदस्य" शब्दों के स्थान पर "पांच सदस्य" शब्द रखे जाएंगे।

(बी) शब्द "और" को हटा दिया जाएगा;

(सी) "श्री तख्त हजूर साहिब, नांदेड" शब्दों के बाद, शब्द कोष्ठक और अंक "और (5) श्री तख्त दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, भटिंडा, पंजाब" डाला जाएगा।

4. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

दिनांक:-

जगह :-

<u>प्रत्यायोजित विधान से सम्बंधित ज्ञापन</u>

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2022 किसी भी अधीनस्थ पदाधिकारियों को विधान की अतिरिक्त शक्ति प्रदान नहीं करता है।

<u>वित्तीय ज्ञापन</u>

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समेकित निधि से कोई वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है।

राजेंद्र पाल, गौतम मंत्री, गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय

राज कुमार, सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd January, 2022

F. No. 21/8/Sikh/2022/LAS-VII/Leg./626.—The following is published for general Information:—

THE DELHI SIKH GURUDWARAS (AMENDMENT) BILL

(BILL No. 01 of 2022)

A

BILL-2022

further to amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventieth second of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called the Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Act, 2022.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Section 4 – In the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971), in clause (b) of Section 4,---------

(i) for the words "nine members", the words "ten members" shall be substituted;

(ii) In sub-clause (ii) of clause (b) of Section 4,-----

(a) for the words "four members", the words "five members"shall be substituted;

(b) the word "and" shall be omitted;

(c) after the words "Sri Takhat Hazur Sahib, Nanded", the words brackets and figure "and (5) Sri Takhat Damdama Sahib, Talwandi Sabo, Bhatinda, Punjab" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The need for the amendment in the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971, arises out of representation of the Delhi Sikh Gurdwaras Management Committee for inclusion of 'Sri Takhat Damdama Sahib, Talwandi Sabo, Bhatinda (Punjab)' as fifth "Takhat" in the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 by making amendment in the said Act and in continuation to the order dated 01.06.2018 by the Delhi High Court in the matter of W.P.(C) No. 6377/2018 for considering the representation of The Delhi Sikh Gurdwara Management Committee.

   Further, 'Sri Takhat Damdama Sahib, Talwandi Sabo, Bhatinda (Punjab)'has already been included as the fifth Takhat in the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act VIII of 1925) by the Ministry of Home Affairs, Govt. of India vide notification NO. S.O. 281(E) dated 23.04.1999.

2. Sub-clause (ii), clause (b) of Section 4 of the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 provides that the committee shall consist of four members, each being the head priest of the (1) Sri Akal Takhat Sahib, Amritsar (2) Sri Takhat Kesgarh Sahib, Anandpur (3) Sri Takhat Patna Sahib, Patna and (4) Sri Takhat Hazur Sahib, Nanded.

3. In the above background appropriate amendments are proposed to be made and clause (b) in sub-clause (ii) of Section 4 of the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 by making the following amendments as under:-

(i) In clause (b) of Section 4 of the Act, of the words 'nine members' the words 'ten members' shall be substituted

(ii) In sub-clause (ii) of clause (b) of Section 4, ---

(a) for the words "four Members", the words "five members" shall be substituted.

(b) the word "and" shall be omitted;

(c) after the words "Sri Takhat Hazur Sahib, Nanded", the words brackets and figure "and (5) Sri Takhat Damdama Sahib, Talwandi Sabo, Bhatinda, Punjab" shall be inserted.

4. The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Date:-

Place:-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 2022 does not seek to confer any power of legislation on any subordinate functionaries.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 2022 does not involve any financial implications from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi.

RAJENDRA PAL GAUTAM, Minister of Directorate of Gurdwara Elections

---

RAJ KUMAR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.01.07 22:27:02 +05'30'